राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/5192 दिनांकः 30.12.2025

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषयः— पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 — निर्वाचक नामावलियां तैयार करने हेतु प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 में होने है। आम चुनाव हेतु पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां दिनांक 01.01.2026 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी है। आम चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग द्वारा शीघ्र ही जारी किया जाएगा। पंचायत की वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी। प्रगणकों की संख्या के आकलन हेतु गत आम चुनाव हेतु स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकता है।

आगामी आम चुनावों हेतु आयोग द्वारा नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रोनिकस एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (रील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के अद्यतन डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभाजित कर मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र—ए—1 **(परिशिष्ट—1)** में भरी जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाएगी। प्रपत्र—ए—1 में प्रगणकों द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी भाग के मतदाताओं को उससे संबंधित पंचायत के वार्ड के अनुसार विभक्त किया जाएगा। प्रपत्र—ए—1 की सूचना ई—सूची पर अपलोड करने के बाद वार्डवार प्रारूप मतदाता सूचियां तैयार हो जाएगी। ऐसी प्रारूप मतदाता सूचियों का संबंधित प्रगणक द्वारा अपने वार्डों में जाकर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

प्रगणकों की नियुक्ति में निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जाएः—

1. ग्राम पंचायत के प्रत्येक पॉलिंग बूथ के लिए एक प्रगणक की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखते हुए की जाए कि उसे आवंटित बूथ के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 रहे।
2. एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायतों के बूथ आवंटित नहीं किए जाए।
3. यथा संभव बीएलओ को ही प्रगणकों के पद पर नियुक्त किया जाए।
4. यथा संभव संबंधित ग्राम पंचायत में पदस्थापित कार्मिक को उसी वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त किया जाए ताकि उसे अपने वार्ड की सीमा एवं मतदाताओं की पूर्ण जानकारी हो।
5. नियुक्त किए जाने वाले प्रगणक किसी राजनीतिक दल एवं राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त/संलग्न/संबंध नहीं हो।
6. प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य इस आदेश के जारी होने के 03 कार्य दिवस में पूर्ण कर लिया जाए।
7. प्रगणक के पद पर नियुक्ति योग्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाएं।

<u>संलग्नः—उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

30/12

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांकः 30.12.2025

क्रमांकःएफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/5193

प्रतिलिपि समस्त ईआरओ/एईआरओ मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

परिशिष्ट - 1

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

Draft Electoral Roll Control Chart

Name of Gram Panchayat:

Name of Panchayat Samiti:

Name of Zila Parishad:

FORMAT - A1

Please use this temaplate to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1

version 1.2

1	2	3	4	5	6	7
			Voter			
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From	To	Ward No.	Total
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						